जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर के अन्तर्गत कार्यरत

विधिक सहायता केन्द्र

1. फ्रंट ऑफिस, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर परिसर
2. प्रोजेक्ट बालिका उच्च वि., पहाड़पुर, वैशाली
3. प्रोजेक्ट बालिका उ. मा. वि., महुआ
4. राज्य संपोषित बालिका उ. वि., हाजीपुर
5. परियोजना बालिका उ. मा. वि., वैशाली
6. प्रोजेक्ट बालिका उ. वि. बिदुपुर बाजार
7. बालिका मा. (+2) वि., महनार
8. प्रोजेक्ट कन्या उ. वि., जन्दाहा
9. परियोजना बालिका उ. वि., जलालपुर
10. प्रोजेक्ट कन्या उ. मा. वि., गोरौल
11. लक्ष्मी नारायण कॉलेज, भगवानपुर
12. मुनेश्वर सिंह मुनेश्वरी महा. वि., जन्दाहा
13. राजकीयकृत राजगृह उ. मा. वि., प्रेमराज, वैशाली
14. बालक उ. मा. (+2) वि., महनार
15. राजकीयकृत उ. मा. वि., दयालपुर
16. जी. ए. उ. मा.(+2)वि., लालगंज
17. प्रोजेक्ट बालिका उ. वि., सहदेई बुजुर्ग
18. सामुदायिक भवन, दिग्घी पश्चिमी
19. बाबा बसावन धाम मंदिर परिसर, पानापुर लंगा
20. जी. ए. मूवमेंट, हाजीपुर
21. एस. डी. ओ. कोर्ट परिसर, हाजीपुर
22. एस. डी. ओ. कोर्ट परिसर, महुआ
23. एस. डी. ओ. कोर्ट परिसर, महनार
24. किशोर न्याय परिषद, हाजीपुर
25. जिला बाल संरक्षण ईकाई, हाजीपुर
26. मंडल कारा (जेल), हाजीपुर

विधिक साक्षरता क्लब

1. हाई स्कूल, देसरी
2. जनता हाई स्कूल, मुर्तजापुर
3. श्री रामचन्द्र हाई स्कूल, पातेपुर
4. गाँधी विद्या मंदिर, तिसिऔता
5. बी. एन. हाई स्कूल, सेहान
6. आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर

मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहयता प्राप्त करने क ा हकदार होगा, जो बिहार का मूल निवासी हो तथा किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले का पक्षकार हो या किसी न्यायालय में वाद दायर करना चाहता हो, यदि:-

- ★ उसकी वार्षिक आय रू0 1,50,000(एक लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हो या।
- ★ वह अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति का सदस्य हो, या ।
- ★ वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखरी हो या।
- ★ वह महिला या 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो या।
- ★ वह मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा अक्षम व्यक्ति हो या।
- ★ वह व्यक्ति प्राकृतिक आपदा, संजातीय हिंसा, जातीय नृशंसता या औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित हो या।
- ★ औद्योगिक कर्मकार हो या।
- ★ वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा में या मन:श्चिकित्सीय परिचर्चा गृह में हो।

इसके अलावा विधिक सेवा समिति या राज्य प्राधिकार के अध्यक्ष, किसी बड़े लोक महत्व के मामले या वैसे मामले, जिनके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गो पर पड़ने की संभावना हो के पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते है।

श्री प्रेम रंजन मिश्रा

विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकार

हाजीपुर न्यायालय (वैशाली)

श्री उदय प्रताप सिंह, सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार

जिला व्यवहार न्यायालय

हाजीपुर -844101

फोन- 06224-260860

मध्यस्थता - समय की जरूरत

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

जिला विधिक सेवा प्राधिकार

जिला व्यवहार न्यायालय

हाजीपुर -844101

फोन- 06224-260860

ईमेल- clsa_vaishali@yahoo.com

मध्यस्थता क्या है ?

मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबावरहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निबटारा करते हैं। सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावनापूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं तथा उसे स्वेच्छा पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं और वह समझौता जो सभी पक्षों को मान्य होता है, उसे अपनाते हैं। इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द-से जल्द निबटारा होता है जो कि खर्च रहित है। यह मुकदमों के झंझटों से मुक्त है। साथ-ही-साथ न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम होता है।

मध्यस्थता में क्या होता है ?

मध्यस्थता अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णत: प्रशिक्षित होता है।

सभी पक्षा कों उनके विवादों का हल निकालने में मदद करता है। मध्यस्थता ढ़ांचागत प्रक्रिया है। इसकी कार्य प्रणाली निम्न है :

1. **परिचय** : मध्यस्थ अधिकारी, मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत करवाता है। उन्हें प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में भी बतलाता है।

2. **संयुक्त सत्र** : मध्यस्थ अधिकारी, पक्षों से उनके विवाद के प्रति जानकारी प्राप्त करता है तथा विवाद के प्रति जानकारी प्राप्त करता है तथा विवाद के निपटारे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

3. **पृथक सत्र** : संयुक्त सत्र के अलावा यदि जरूरत हो तो मध्यस्थ अधिकारी हर पक्ष से अलग-अलग बात करते हैं। इस सत्र में सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं जिसे गोपनीय रखा जाता है। इस सत्र में मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुँचता है।

4. **समझौता** : विवाद के निवारण उपरांत मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से समझौते की पुष्टि करवाता है तथा उसकी शर्ते स्पष्ट करवाता है। इस समझौते को लिखित रूप में अंकित किया जाता है। जिस पर सभी पक्ष हस्ताक्षर करते है।

मध्यस्थता अधिकारी की भूमिका और कार्य

★ मध्यस्थ अधिकारी विवादित पक्षों के बीच समझौते की आधारभूमि तैयार करता है।

★ पक्षों के बीच आपसी बातचीत और विचारों का माध्यम बनता है।

★ समझौते के दौरान आने वाली बाधाओं का पता लगाता है।

★ बातचीत से उत्पन्न विभिन्न समीकरणों को पक्षों के समक्ष रखता है।

★ सभी पक्षों के हितों की पहचान करवाता है।

★ समझौते की शर्ते स्पष्ट करवाता है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी पक्ष स्वेच्छा से समझौते को अपना सकें।

मध्यस्थता-प्रक्रिया के लाभ

★ विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान

★ समय तथा खर्चे की किफायत

★ न्यायालयों में चक्कर लगाने से राहत

★ अत्यधिक सरल व सुविधाजनक

★ विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान

★ समाधान में पक्षों की सहमति को महत्त्व

★ अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णत: गोपनीय प्रक्रिया

★ सामाजिक सद्भाव कायम करने में सहायक

★ मध्यस्ता में विवाद निपटने पर, वादी (Court Fees Act-1870) कोर्ट फीस एक्ट-1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।

विवाद से हानियाँ

★ समय की बर्बादी

★ मानसिक तथा शारीरिक शांति भंग

★ धन की हानि

★ आपसी घृणा और वैमनस्य

★ तनाव की स्थिति

★ झूठे अहम् को बढ़ावा

★ असंतोष